



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3520]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941

No. 3520]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/ KARTIKA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3899(अ).—स्वापक दवाओं और मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 823(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1985 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के अतिक्रमण से, उन सभी कार्यों को जो कि इस अतिक्रमण से पहले किये गये हैं अथवा नहीं किये गये हैं को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों की सहमति से, एतद्द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में निरीक्षक और इससे ऊपर के अधिकारियों को और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में कनिष्ठ आसूचना अधिकारी और इससे ऊपर के अधिकारियों को उक्त धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियों को सौंपती है।

[फा. सं. एन/11011/1/2019-एनसी-II]

विश्वजीत सरकार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O. 3899(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number S.O. 823(E), dated the 14th November, 1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after

consultation with all the State Governments hereby invests the officers of and above the rank of inspectors in the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Central Bureau of Narcotics, Directorate of Revenue Intelligence, Central Economic Intelligence Bureau and of and above the rank of Junior Intelligence Officer in Narcotics Control Bureau with the powers specified in sub-section (1) of that section.

[F. No. N/11011/1/2019-NC-II]

BISWAJIT SARKAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3900(अ).—स्वापक दवाओं और मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36क की उपधारा (1) के उपवाक्य (घ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 763(अ), दिनांक 27 सितम्बर, 1989, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के अतिक्रमण से, उन सभी कार्यों को जो कि इस अतिक्रमण से पहले किये गये हैं अथवा नहीं किये गये हैं को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में निरीक्षक और इससे ऊपर के अधिकारियों को और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में कनिष्ठ आसूचना अधिकारी और इससे ऊपर के अधिकारियों को विशेष न्यायालयों के समक्ष उक्त अधिनियम के तहत किये गये अपराधों से संबंधित शिकायत दाखिल करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एन/11011/1/2019-एनसी-II]

विश्वजीत सरकार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O. 3900(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 36A of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number S.O. 763(E), dated the 27th September, 1989, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government, hereby authorises the officers of and above the rank of inspectors in the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Central Bureau of Narcotics, Directorate of Revenue Intelligence, Central Economic Intelligence Bureau and of and above the rank of Junior Intelligence Officer in Narcotics Control Bureau for filling of complaints relating to an offences under the said Act, before Special Courts.

[F. No. N/11011/1/2019-NC-II]

BISWAJIT SARKAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3901(अ).—स्वापक दवाओं और मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 67 और धारा 42 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 822(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1985 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के अतिक्रमण से, उन सभी कार्यों को जो कि इस अतिक्रमण से पहले किये गये हैं अथवा नहीं किये गये हैं को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, में उप-निरीक्षक और इससे ऊपर के

अधिकारियों को और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में कनिष्ठ आसूचना अधिकारी और इससे ऊपर के अधिकारियों को और केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व आसूचना महानिदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में निरीक्षक और इससे ऊपर के अधिकारियों को धारा 42 में विनिर्दिष्ट शक्तियों और कर्तव्यों का संबंधित क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने और उक्त अधिकारियों को धारा 67 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एन/11011/1/2019-एनसी-II]

विश्वजीत सरकार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O. 3901(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42 and section 67 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue number S.O. 822(E), dated the 14th November, 1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby empowers the officers of and above the rank of sub-inspector in Central Bureau of Narcotic and Junior Intelligence Officer in Narcotics Control Bureau and of and above the rank of inspectors in the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Directorate of Revenue Intelligence, Central Economic Intelligence Bureau to exercise the powers and perform the duties specified in section 42 within the area of their respective jurisdiction and also authorise the said officers to exercise the powers conferred upon them under section 67.

[F. No. N/11011/1/2019-NC-II]

BISWAJIT SARKAR, Under Secy.